ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, गो0ब0पंत कृषि एवं
प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

सत्यमेव जयते

लोक भवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–28823/जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021

देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2026

## आदेश

एतद्द्वारा, उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11 की उपधारा–(6) के अन्तर्गत आदेश संख्या 23937, दिनांक 19 अगस्त, 2025 द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2025 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 मनमोहन सिंह चौहान को गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। यह छः माह का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2026 को समाप्त हो रहा है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया में अभी समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा–11 की उपधारा–(6) के खण्ड–(ग) के अन्तर्गत वर्तमान कुलपति डा0 मनमोहन सिंह चौहान का कार्यकाल दिनांक 01 मार्च, 2026 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0/–
( ले ज गुरमीत सिंह )
कुलाधिपति।

संख्या 28823 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C2-4-2(3)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. डा0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. कुलसचिव, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Raman
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।